अपील क्रमांक 188/बो.प्र./नि.स./2023
कार्यालय प्रमुख अभियंता (बोधी प्रकोष्ट)
जल संसाधन विभाग,
शिवनाथ भवन, सेक्टर–19,
अटल नगर, नवा रायपुर

दिनांक /08/2023

अपील प्रकरण क्रमांक 188/बो.प्र./नि.स./2023

अपीलार्थी		उत्तरवादी
श्री पुरानिक राम निराला, ग्राम सोनापुटी, पो.आ. घुंचापाली, तहसील बागबाहरा, जिला महासमुन्द (छ.ग.) पिन 493449	विरूद्ध	श्री ए.के. साय, जनसूचना अधिकारी,कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, नवा रायपुर (छ.ग.)

आदेश दिनांक 18.08.2023

1 अपीलार्थी श्री पुरानिक राम निराला उपस्थित।

2. जनसूचना अधिकारी श्री ए.के. साय उपस्थित।

3. प्रकरण संक्षेपः

(i) आवेदक/अपीलार्थी ने अपने आवेदन पत्र दिनांक 19.06.2023 द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत शिकायत का पंजीयन क्रं./982/31/स्था./2023, दिनांक 10.05.2023 को विभाग में प्रस्तुत किया है, जिसका जावक क्रमांक 1029, दिनांक 17.05.2023 के संबंध में कार्यवाही प्रतिवेदन की सत्यप्रतिलिपि उपलब्ध कराने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था, जिसका इस कार्यालय का आवक क्रं. 621, दिनांक 21.06.2023 को प्राप्त हुआ।

(ii) जनसूचना अधिकारी ने पत्र क्रं. 6598, दिनांक 21.07.2023 द्वारा स्थापना शाखा से प्राप्त वांछित जानकारी 01 पृष्ठ की है। जिसका जानकारी शुल्क (1X2 = 2/–) (दो रू. मात्र) जमा कर जानकारी प्राप्त करने हेतु आवेदक को पंजीकृत डाक से पत्र प्रेषित किया गया।

(iii) आवेदक/अपीलार्थी ने उल्लेख किया गया है कि जनसूचना अधिकारी द्वारा समय–सीमा में जानकारी नहीं दिये जाने के कारण आवेदक द्वारा असंतुष्ट होकर दिनांक 24.07.2023 द्वारा अवर सचिव/प्रथम अपीलीय अधिकारी, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय नवा रायपुर के नाम से आवेदन प्रस्तुत किया था, जो शासन की ओर से इस कार्यालय में दिनांक 01.08.2023 को प्रथम अपीलीय अधिकारी को प्राप्त हुआ। प्रकरण की सुनवाई दिनांक 18.08.2023 को समय दोपहर 12.00 बजे अधोहस्ताक्षरकर्ता के कक्ष क्र. SA-9, कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, शिवनाथ भवन, नवा रायपुर में निर्धारित किया गया।

4. प्रकरण की सुनवाई दिनांक 18.08.2023 को अपीलार्थी श्री पुरानिक राम निराला उपस्थित हुए। उनके द्वारा बताया गया कि जांच की कार्यवाही प्रतिवेदन की सत्यप्रतिलिपि चाहा गया था। किन्तु उनके द्वारा शुल्क जमा नहीं किया गया है। जिसका सहमति अपीलार्थी द्वारा भी दिया गया।

5. जनसूचना अधिकारी द्वारा आज दिनांक 18.08.2023 को सुनवाई में उपस्थित होकर बताया गया कि आवेदक/अपीलार्थी का आवेदन पत्र दिनांक 21.06.2023 को प्राप्त हुआ। उपरोक्त वांछित जानकारी प्राप्त करने हेतु नस्ती स्थापना शाखा में दिनांक 22.06.2023 को प्रस्तुत की गई। स्थापना शाखा से नस्ती दिनांक 14.07.2023 को

इस टीप के साथ प्राप्त हुई कि वांछित जानकारी 1 पृष्ठों की है। जिसका जानकारी शुल्क (1X2 = 2/–) (दो रू. मात्र) जमा कर जानकारी प्राप्त करने हेतु आवेदक को पंजीकृत डाक से कार्यालयीन पत्र क्रं. 4112275/88/छ.ग./2023/6598, दिनांक 21.07.2023 द्वारा पत्र प्रेषित किया गया। किन्तु अपीलार्थी द्वारा शुल्क जमा नहीं किया गया। जिसके कारण जानकारी नहीं दिया गया।

6. (i) जनसूचना अधिकारी ने नियत अवधि से पूर्व आवेदक/अपीलार्थी को विस्तृत रूप से सूचित किया था।

(ii) आवेदक/अपीलार्थी को यह स्पष्ट किया गया था कि संबंधित कक्ष से प्राप्त टीप अनुसार कुल 1 पृष्ठों की वांछित जानकारी को कार्यालयीन पत्र क्रं. 4112275/88/छ.ग./2023/6598, दिनांक 21.07.2023 को पंजीकृत डाक से अपीलार्थी को सूचित किया गया।

(iii) आवेदक/अपीलार्थी ने जानकारी नहीं देने से असंतुष्ट होकर दिनांक 24.07.2023 द्वारा प्रथम अपील आवेदन प्रस्तुत की जो दिनांक 1.08.2023 को प्राप्त हुई। अपील प्रकरण की सुनवाई दिनांक 18.08.2023 को निर्धारित की गई, जिसमें आवेदक/अपीलार्थी उपस्थित हुए।

7. जनसूचना अधिकारी ने नियत समय सूचना, निर्धारित अवधि में दी थी। जनसूचना अधिकारी द्वारा आवेदक/अपीलार्थी को संबंधित स्थापना कक्ष से प्राप्त टीप अनुसार शुल्क जमा कर वांछित जानकारी प्राप्त करने हेतु समय पूर्व पंजीकृत डाक से प्रेषित की गई। किन्तु अपीलार्थी द्वारा शुल्क जमा नहीं किया गया। जिसके कारण जानकारी नहीं दिया गया। जिसका सहमति अपीलार्थी द्वारा भी दिया गया। प्रकरण की सुनवाई में दोनों पक्षों का तर्क सुना गया। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर निर्णय लिया गया कि जनसूचना अधिकारी ने नियमानुसार निर्धारित अवधि में कार्य किया है। अतः अपील निराकृत।

इस आदेश की प्रति संबंधित पक्षों को निःशुल्क प्रदान की जाती है। इस आदेश से असंतुष्ट पक्ष, इस आदेश के विरूद्ध 90 दिनों के भीतर छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग, नार्थ ब्लाक, सेक्टर–19, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला रायपुर (छ.ग.) पिन 492002 के कार्यालय में द्वितीय अपील प्रस्तुत कर सकते है।

सही/–
(सी.पी. जैन)
प्रथम अपीलीय अधिकारी,
कार्यालय प्रमुख अभियंता,
जल संसाधन विभाग,
नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)

पृ.क्रं. / 188 / बो.प्र. / नि.स. / 2023 / 7664 रायपुर, दिनांक 18/08/2023

प्रतिलिपिः—

1. अधीक्षण अभियंता, एम.आई.एस., कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, शिवनाथ भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। कृपया उक्त आदेश को विभाग के बेबसाईट (RTI) में अपलोड कराने का कष्ट करें।
2. श्री ए.के. साय, जनसूचना अधिकारी, कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, शिवनाथ भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. श्री पुरानिक राम निराला, ग्राम सोनापुटी, पो.आ. घुंचापाली, तहसील बागबाहरा, जिला महासमुन्द (छ.ग.)।

की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

(सी.पी. जैन)
प्रथम अपीलीय अधिकारी,
कार्यालय प्रमुख अभियंता,
जल संसाधन विभाग,
नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)